(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3063–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–06–2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर, जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 12/स्वमेव निग0/2006–07

....

दामोदर प्रसाद पुत्र दंगल सिंह लोधी
निवासी–ढाकोनी, तहसील ईसागढ़
जिला–अशोकनगर (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक, आवेदक,
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/07/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर अशोकनगर, जिला–अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–06–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 1061/2 मि0 रकबा 2.362 है0 में से 1.254 हेक्टर रकबा पर विगत 14–15 वर्षों से लगातार कब्जे में होकर फसल लाभ लेने के आधार पर उक्त

शासकीय भूमि का व्यवस्थापन एवं भूमिस्वामी घोषित किये जाने हेतु न्यायालय तहसीलदार परगना, ईसागढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा प्रकरण क्र0 18/अ–19/1990–91 दायर कर कार्यवाही के पश्चात आवेदक के पक्ष में दिनांक 26–04–1991 को आदेश पारित किया गया। तहसीलदार ईसागढ़ के उक्त आदेश दिनांक 26–04–1991 को अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 25–10–93 को तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 26–04–1991 निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने आदेश दिनांक 12–5–03 के द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश अधिकाररहित होने से निरस्त किया तथा यह निर्देश दिये कि यदि तहसीलदार के आदेश में त्रुटि पाते हैं तो उनका प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने हेतु सक्षम न्यायालय को भेंजे।

आयुक्त के आदेश के पश्चात अपर कलेक्टर ने दिनांक 26–9–05 को प्रकरण कलेक्टर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। कलेक्टर ने आदेश दिनांक 13–6–12 के द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 26–04–1991 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि पूर्ववत शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। कलेक्टर अशोकनगर के इस आदेश विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक ने स्वयं के भूमिहीन होने एवं शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1061/2 रकबा 2.362 है0 में से 1.254 हेक्टर रकबा पर विगत 14–15 वर्षों से लगातार कब्जे में होकर फसल करने के आधार पर भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन तहसीलदार को दिया। तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर दिनांक 26–4–91 को आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित किया था, परन्तु

अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश के 2 वर्ष बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर तहसीलदार ईसागढ़ का आदेश निरस्त किया जिसे निगरानी में आयुक्त ग्वालियर ने अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया था। आयुक्त के द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने के बाद भी कलेक्टर ने लगभग 15 वर्ष बाद पुनः तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि कलेक्टर द्वारा तथ्यों एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक भूमिहीन कृषक है तथा आवेदक विवादित भूमि व्यवस्थापन अपने हक में कराने का विधिक रूप अधिकारी है। यह भी कहा कि आवेदक के हित में हस्तांतरण की जानकारी 1991 में हो गई थी तथा वर्ष 2006 में 15 वर्ष उपरांत प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटी की है। अतः निगरानी स्वीकार कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार के आदेश में अवैधानिकता प्रतीत होने से कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया था। अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने में समय–सीमा की कोई पावंदी नहीं है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–4–1991 के दो वर्ष पश्चात् 25–10–1993 को अपर कलेक्टर अशोकनगर ने तहसीलदार ईशागढ़ का आदेश निरस्त किया, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में आयुक्त ग्वालियर ने 12–5–03 को अपर कलेक्टर अशोकनगर को स्वमेव निगरानी में लेने की अधिकारिता नहीं होने से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया था, प्रकरण की मैरिट के आधार पर आदेश नहीं किया था। आयुक्त के आदेश के 3 वर्ष पश्चात कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण पुनः स्वमेव निगरानी में लिया तथा

13–6–12 को भूमि व्यवस्थापन भूमिस्वामी हक समाप्त किया इससे यह स्पष्ट है कि

1– आवेदक का यह कहना गलत है कि 14–15 वर्ष पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया।

2– कलेक्टर के निर्णय से स्पष्ट है कि खसरा पंचशाला मात्र संवत 2035 से एवं 2040–2044 तक अवैध अतिक्रमण जो निर्धारित अवधि का नहीं है। मात्र 5 वर्ष का है। यह कहना गलत है कि आवेदक का 14–15 वर्ष पूर्व से कब्जा था।

3– आवेदक भूमिहीन श्रेणी में नहीं आता उसके एवं उसके परिवार के पास पूर्व से 5.986 है0 भूमि धारित है। उसके पिता दंगलसिंह के नाम पर 3.157 है. भूमि धारित है। अतः ऐसे व्यक्ति को राजस्व पुस्तक परिपत्र तथा म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही है दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान कियाजाना (विशेष उपलब्ध) अधिनियम 1984 के तहत भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं। आवेदक ने इस बात का खण्डन नहीं किया कि उसके तथा उसके परिवार के पास पूर्व की भूमि है। आवेदक का कब्जा राजस्व पुस्तक परिपत्र दिनांक 1973–19–1/79/2 दिनांक 25–8–1979 के अनुसार 31–12–1976 के पूर्व के बेजा कब्जे को व्यवस्थित किया जा सकता है तथा विशेष उपबंध अधिनियम के तहत 02–10–1984 के पूर्व के कब्जेधारी होना आवश्यक है। आवेदक ने उक्त अवधि के पूर्व के अतिकमणधारी होने से संबंधी प्रमाण नहीं दिए। इसीलिए तहसीलदार का आदेश कलेक्टर ने स्थिर रखने योग्य नहीं माना।

4– विज्ञप्ति विधिवत जारी नहीं की गई। साक्षी के कथनों का कूटपरीक्षण नहीं किया गया। विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1976 के पूर्व का नहीं है।

5– आवेदक कलेक्टर न्यायालय में मात्र एकबार उपस्थित हुआ तथा आगामी तारीख नोट की, उसके पश्चात उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उसके विरूद्ध एकपक्षीय किया गया। अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विवादित शासकीय भूमि पर विधि विपरीत एवं अनियमित आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन करने के कारण कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विधिवत जांच करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन नियमानुसार ही किया गया था एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त कर भूमि पुनः शासकीय दर्ज करने में विधिसंगत कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि सर्वप्रथम आवेदक का यह तर्क गलत है कि प्रकरण 15 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लिया गया क्योंकि कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने के पूर्व 25–10–1993 को अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने की कार्यवही की थी, यद्यपि अधिकारितारहित होने से आयुक्त ने उसे निरस्त कर दिया था एवं आयुक्त के आदेश दिनांक 12–5–03 के तारतम्य में वर्ष 2006 में कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया। इससे स्पष्ट है कि आवेदक को भूमि आबंटन के विरूद्ध आबंटन आदेश के दो वर्ष पश्चात ही अपर कलेक्टर ने कार्यवही प्रारम्भ कर दी थी। कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक उनके न्यायालय में मात्र एक बार उपस्थित हुआ, उसके पश्चात अनुपस्थित रहा तथा अपने पक्ष समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। कलेक्टर ने पटवारी रिपोर्ट तथा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से यह पाया कि आवेदक का मात्र 5 वर्ष का अतिकमण है। खसरे की प्रविष्टी एवं न ही अतिकमण सम्बन्धी किसी प्रकार के आदेश, अर्थदण्ड/जुर्माना आदि से आवेदक के 14–15 वर्ष से अतिकमण

साबित हो सका। आवेदक भूमिहीन नहीं था क्योंकि उसके तथा उसके पिता के नाम पर 5.986 है0 भूमि पूर्व से धारित बताई गई है, आवेदक ने कलेक्टर न्यायालय एवं न ही इस न्यायालय में इस बात का खण्डन किया है कि उसके परिवार के पास पूर्व से 5 है0 से अधिक भूमि है। प्रकरण में आवश्यक प्रकिया का पालन नहीं किया गया, विज्ञप्ति भी विधिवत जारी होना नहीं पाया एवं न ही किसी साक्षी का कूटपरीक्षण किया गया। उक्त आधारों पर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी मे लेकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–4–91 निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की।

6/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 13–6–12 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर